

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अह  
हुक्म  
में

20/1/24

सिद्धिका  
म  
2-2-24  
का/1/23

फनावली पेशा वकुलाय उप-प्राची  
वकील ने पुनः प्रस्तुतकी अनुमति  
के साथ जरिये विद्वो वल खारीज  
करने का निवेदन किया। अग्रणी के  
(2) की ओर श्री दीपसिंह भारी ने  
विरोध किया कि प्राची का प्राधिकार  
रखीवार किया जावे। प्राची का प्राधिकार  
पत्र जरिये विद्वो खारीज किया  
जाता है। फनावली फौजदार सुमार नंबर  
एक से कम टैकर दारिदर वफर  
है।

Prinical

सहायक फौजदार एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

